6.6.24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीया उपस्थित, वकील प्रार्थीया विपक्षी सं. 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर पूर्व में ही प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा हाँक-पुकार आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:56:57 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 74/24 प्रा. पत्र

1– श्रीमती अयोध्या देवी w/o लादूलाल ब्राह्मण निवासी- बैरा तहसील- माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1– श्री किशनलाल s/o रामनाथ शर्मा निवासी- बैरा तहसील- माण्डल [गैरा]
(प्रार्थी प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 06.06.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया के ग्राम......बैरा......पटवार हल्का......बैरा......तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 185/8, 186 ......कुल किता......02......रकबा......0.0759......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......17.5.24......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......बैरा......पटवार हल्का......बैरा......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं......185/8, 186......कुल किता......02......रकबा......0.0759......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक......बैरा......को......500......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि ... नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा